

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक/पटना, दिनांक-
06/पणन(स0)-52/2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत 08 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समिति(PVCS) में आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु प्रति PVCS रू0 1,14,30,561/- की दर से कुल राशि रू0 9,14,44,488/- मात्र की स्वीकृति के विरुद्ध ऋण मद में स्वीकृत 25 प्रतिशत राशि अर्थात रू0 2,28,61,122/- (दो करोड़ अठाईस लाख इक्कसठ हजार एक सौ बाईस) का वित्तीय वर्ष 2025-26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत 08 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समिति(PVCS) में आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु प्रति PVCS रू0 1,14,30,561/- की दर से कुल राशि रू0 9,14,44,488/- मात्र की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्योदश संख्या 219 दिनांक 16.07.2025 द्वारा प्रदान की गयी थी, परंतु ऋण मद का शीर्ष खोलने की कार्यवाई प्रक्रियाधीन होने एवं प्रथम अनुपूरक से ऋण मद की राशि अप्राप्त रहने के कारण उक्त मद में राशि की निकासी नहीं की जा सकी।

सम्प्रति ऋण मद का शीर्ष खुलने एवं प्रथम अनुपूरक से ऋण एवं अग्रिम मद में राशि का प्रावधान किये जाने के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 219 दिनांक 16.07.2025 की कंडिका-2 के अनुसार उक्त स्वीकृत्यादेश की कुल राशि का 25 प्रतिशत(ऋण एवं अग्रिम मद के रूप में) अर्थात राशि रू0 2,28,61,122/- (दो करोड़ अठाईस लाख इक्कसठ हजार एक सौ बाईस) का वित्तीय वर्ष 2025-26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम मद की स्वीकृत राशि निम्नरूपेण विकलनीय होगी:-

क्र0स0	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों को कर्ज, उप शीर्ष-0120 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-55 ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष-01 ऋण एवं अग्रिम, विपत्र कोड-09-6425001080120	1,92,03,342/-
2	मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-55 ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष-01 ऋण एवं अग्रिम, विपत्र कोड-09-6425007890101	36,57,780/-
कुल		2,28,61,122/-

3. PVCS को सरकारी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि की वसूली के संबंध में मानक प्रक्रिया प्रक्रिया तैयार करने का दायित्व बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फंडरेशन का होगा,

जिसके अनुसार ऋण वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि० का होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि०, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5. प्रस्ताव एवं स्वीकृतिपत्र प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-06/पणन(स०)-52/2025 के पृष्ठ संख्या 30/टि० पर दिनांक- 31.07.2025 को प्राप्त है।

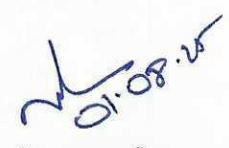
6. प्रस्ताव एवं स्वीकृतिपत्र प्रारूप पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या- 06/पणन(स०)-52/2025 के पृष्ठ संख्या 32/टि० पर दिनांक- 31.07.2025 को प्राप्त है।

ह०/-
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....278...../पटना, दिनांक 01/08/2025
06/पणन(स०)-52/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/निबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि०, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स०स०, बिहार, पटना/आईटी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।


सरकार के अपर सचिव।